प्रथम सूचना रिपोर्ट
(दण्ड प्रकिया सहिंता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. (जिला) ..**चौकी, भ्र.नि.ब्यूरो, सवाई माधोपुर**....(थाना) ...**प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि. ब्यूरो, जयपुर।**
(प्र.सू.रि.स.) ....488/22........ .... (दिनांक) ....27/12/2022........

2 I (अधिनियम).....**भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018** ....(धाराए)...........**7**................
II (अधिनियम).. (धाराए) ....
III (अधिनियम) .... (धाराए) ....
IV (अन्य अधिनियम एवं धाराए) ....

3. (क) (दिन).........**मंगलवार**...... (दिनांक से).........**01.11.2022**......(दिनांक तक)........................
(ख) (पहर) ....(बजे से)................................ (बजे तक) ....
(ग) (थाने पर प्राप्त सूचना)..................(दिनांक) ....(समय) ....
(रोजनामचा संदर्भ) ....(प्रविष्टि सं.) 532..........(समय) ....1:30 PM

4. (सूचना कैसे प्राप्त हुई) (लिखित/मौखिक)........................**लिखित रिपोर्ट** ....

5. घटना का ब्योरा (थाने से दिशा व दूरी).....बजानिव दिशा उत्तर, दूरी करीब 120 कि.मी....
(ख) (पता)................. श्रीकृपा हुंडई शौरूम, हिण्डोन सिटी जिला करौली ....
(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो तब उस) ....
(थाने का नाम) ....(जिला) ....

6. (शिकायतकर्ता/इत्तिला देने वाला)
(क) (नाम) .... श्री प्रदीप कुमार **..**
(ख) (पिता/पति का नाम)..... श्री रामसिंह जाट**..**
(ग) (जन्म तिथि/वर्ष)............**35 वर्ष**..........(घ) (राष्ट्रीयता)..................**भारतीय**............................
(ड.) (पासपोर्ट सं.) ....
(जारी करने की तिथि) ....(जारी करने का स्थान) ....
(च) (व्यवसाय) ....
(छ) (पता)..ग्राम तुलसीरामपुरा गोवटी तहसील दातारामगढ पुलिस थाना खाटु श्याम जी जिला सीकर हाल निवासी श्रीकृपा हुंडई शौरूम करमोदा जिला सवाई माधोपुर

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पूर्ण विवरण)
(यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)
1. अरविन्द कुमार गुप्ता पुत्र श्री महेश कुमार गुप्ता उम्र 38 वर्ष निवासी शीतला कॉलोनी, हिण्डोन सिटी, जिला करौली हाल सहायक अभियन्ता, (अ0प्रथम) जयपुर डिस्कोम, हिण्डोन सिटी, जिला करोली।

8. (शिकायत/इत्तला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण) ....

9. (चोरी हुई सम्पत्ति का विवरण) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें) ....
मांगी गई रिश्वती राशि 2000/—रुपये।

10. चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य

11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं.) (यदि कोई हो तो)

12. (प्र.सू.रि. की विषय वस्तु) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें)

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाई माधोपुर। विषयः— रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरा हिण्डोन सिटी में श्रीकृपा हुन्डई शौरुम है। उक्त शौरूम के विद्युत कनेक्शन हेतु मैनें एईएन कार्यालय हिण्डोन सिटी में विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया था और मैंने विद्युत कनेक्शन के सम्बन्ध में अरविन्द कुमार गुप्ता एईएन से बातचीत की तो अरविन्द कुमार ने कनेक्शन शहरी क्षैत्र से देने और अधिक इस्टीमेट नही बनाने व समय पर कनेक्शन देने एवं रिवाईज्ड एस्टीमेट नही बनाने की एवज में रिश्वति राशि दो लाख रूपये की मांग की। जिस पर मैने पूर्व में 90,000/— रूपये रिश्वत के अरविन्द कुमार गुप्ता को दे चुका हूँ। अब अरविन्द कुमार गुप्ता मेरे से शेष एक लाख दस हजार रूपये की और मांग कर रहा है। मैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत नही देना चाहता हूँ। बल्कि उसे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। मेरी अरविन्द कुमार से कोई पुराना लेन—देन नही है और नाही कोई पुरानी रंजिश है। अतः रिपोर्ट कार्यवाही हेतु पेश है। प्रार्थी प्रदीप कुमार पुत्र

श्री रामसिंह जाति जाट उम्र 35 वर्ष निवासी तुलसीरामपुरा गोवटी तहसील दातारामगढ पुलिस थाना खाटु श्याम जी जिला सीकर हाल निवासी श्रीकृपा हुंडई शौरूम करमोदा जिला सवाई परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर रिपोर्ट में अंकित तथ्यों बाबत परिवादी श्री प्रदीप कुमार से पूछताछ की गई तो परिवादी प्रदीप कुमार ने रिपोर्ट स्वयं द्वारा हस्तलिखित होनी व अंकित तथ्य सही होना तथा रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया तथा परिवादी प्रदीप कुमार ने बताया की अरविन्द कुमार गुप्ता एईएन मेरे से रिश्वत राशि के सम्बन्ध में बातचीत व्हाटसेप कॉलिंग पर ही करता है एवं आज दिन में लगभग समय 2 बजे करीबन जरिये मोबाईल व्हाटसेप कॉल से मैं अरविन्द कुमार गुप्ता एईएन से शेष रिश्वत राशि के सम्बन्ध में वार्ता करूंगा। मेरा करमोदा सवाई माधोपुर में भी श्रीकृपा हुन्डई शौरूम है। आप आज दिन में करीबन 02 बजे के आस पास करमोदा सवाई माधोपुर श्रीकृपा हुन्डई शौरूम पर आ जाना, आपके सामने ही मैं अरविन्द कुमार गुप्ता एईएन से रिश्वत के सम्बन्ध में वार्ता करूंगा। इस पर कार्यालय के श्री मनोज कुमार कानि. को कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री प्रदीप कुमार से परिचय करवाया एवं कार्यवाही के सम्बन्ध में अवगत करवाया। लिखित रिपोर्ट एवं मजिद दरयाप्त से मामला रिश्वत राशि की मांग का होना पाया जाता है। जिसका गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। तत्पश्चात समय 01:30 पी.एम. मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय स्टाफ को अपने कक्ष में बुलवाकर उक्त ट्रेप कार्यवाही के सम्बन्ध में अवगत करवाया गया एवं श्री राजवीर सिंह कानि. से मालखाने से फिनॉफ्थलीन पाउडर का डिब्बा निकलवाकर सरकारी वाहन बोलेरो के डेश बोर्ड में रखवाया गया एवं राजवीर सिंह कानि. के दोनो हाथ साबुन पानी से साफ करवाये गये एवं कार्यालय की आलमारी से डिजिटल वाईस रिकार्डर को श्री मनोज कुमार कानि. से निकलवाकर आवश्यक हिदायत देकर उसके पास सुरक्षित रखवाकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री जुगलाल कानि, श्री मनोज कुमार कानि., श्री भोलाराम कानि., श्री राजवीर सिंह कानि. मय सरकारी बोलेरो वाहन मय चालक संजय कुमार कानि. के मय ट्रेप बाक्स लेपटॉप–प्रिन्टर आदि उपकरण सहित करमोदा सवाई माधोपुर स्थित श्रीकृपा हुन्डई शौरूम के लिये रवाना हुआ। इसके पश्चात समय 02:00 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के करमोदा सवाई माधोपुर स्थित श्रीकृपा हुन्डई शौरूम पर पहुंचा एवं मनोज कुमार कानि. को हमराह लेकर परिवादी श्री प्रदीप कुमार के पास शौरूम पर पहुंचा तथा परिवादी श्री प्रदीप कुमार के मोबाईल नम्बर 9950512351 से आरोपी अरविन्द कुमार गुप्ता एईएन के मोबाईल नम्बर 9413390651 पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करके परिवादी की आरोपी से व्हाटसेप कॉलिंग से वार्ता करवाई गई उक्त वार्ता को मेरे निर्देशानुसार श्री मनोज कुमार कानि. ने डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड की है। परिवादी प्रदीप कुमार एवं आरोपी की उक्त वार्ता को डिजिटल वाईस रिकार्डर को ऑन करके सुना गया तो वक्त सत्यापन आरोपी द्वारा परिवादी से 85,000/– रूपये रिश्वत के लेने पर सहमत होना पाया गया है तथा आज ही परिवादी ने अपने हिण्डौन सिटी स्थित श्रीकृपा हुन्डई शौरूम पर मिलने की कहा है। सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर को मनोज कुमार कानि. के पास सुरक्षित रखवाया गया। इसके पश्चात समय 02:40 पी.एम. पर गोपनीय ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने पर कार्यालय उप खण्ड अधिकारी सवाईमाधोपुर के नाम तहरीर जारी कर श्री राजवीर सिंह कानि. को मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक के रवाना किया गया। इसके पश्चात समय 03:15 पी.एम. पर श्री राजवीर सिंह कानि. मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक के ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय उप खण्ड अधिकारी सवाईमाधोपुर से दो स्वतंत्र गवाहान हमराह साथ लेकर करमोदा सवाई माधोपुर स्थित श्रीकृपा हुन्डई शौरूम पर उपस्थित आया उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर उनसे अपना नाम पता पूछा तो उन्होनें अपना नाम पता क्रमशः सर्वश्री श्री हरिओम मीना पुत्र दयाराम मीना जाति मीना, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम चकेरी, पुलिस थाना सूरवाल, जिला सवाई माधोपुर, हाल सूचना सहायक, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर एवं श्री कुलदीप शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा, जाति ब्राह्मण, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम बहतेड, पुलिस थाना मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर, हाल निवासी 61 इंदिरा कॉलोनी, सवाई माधोपुर, हाल स्टेनो ग्राफर, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर होना बताया। उक्त दोनों गवाहान का मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री प्रदीप कुमार से आपसी परिचय करवाया गया एवं परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट स्वतन्त्र गवाहान को पढवाई गई। दोनो गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में संक्षिप्त अवगत करवाकर कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की सहमती चाही तो दोनो गवाह ने कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की अपनी मौखिक सहमती दी तथां परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रमाण स्वरूप अपने–अपने हस्ताक्षर किये। इसके पश्चात समय 03:40 पी.एम. पर श्री भोलाराम कानि., राजवीर सिंह कानि. मय स्वतंत्र गवाहान श्री हरिओम मीना सूचना सहायक, कुलदीप शर्मा स्टेनाग्राफर मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक संजय कुमार कानि के एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री प्रदीप कुमार, श्री मनोज कुमार कानि., जुगलाल कानि. के परिवादी के निजी वाहन से मय ट्रेप बाक्स लैपटॉप/प्रिन्टर,

वाईस रिकार्डर आदि उपकरण के श्रीकृपा हुन्डई शौरूम करमोदा सवाई माधोपुर से श्रीकृपा हुन्डई शौरूम हिन्डोन सिटी के लिये रवाना हुआ। इसके पश्चात समय 06:00 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के श्रीकृपा हुन्डई शौरूम हिन्डोन सिटी पहुंचा। इसके पश्चात समय 06:15 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री प्रदीप कुमार से मांगने पर आरोपी अरविन्द कुमार गुप्ता एईएन को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि 2000–2000 रूपये के कुल 18 नोट तथा 500–500 रू. के 98 नोट अर्थात कुल 85,000/–रूपये भारतीय चलन मुद्रा के अपने पास से निकालकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये, पेश शुदा नोटों को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर नोटो के नम्बर फर्द में अंकित करवाये गये। तत्पश्चात श्री राजवीर सिंह कानि. 149 से सरकारी वाहन बोलेरो के डेस्क बोर्ड में रखे फिनोफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा मंगवाया जाकर राजवीर सिंह कानि. से एक अखबार के उपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 85,000/–रूपये के उपरोक्त नोटों पर भली–भांति फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री प्रदीप कुमार की जामा तलाशी गवाह श्री कुलदीप शर्मा, स्टेनोग्राफर से लिवाई गई तो उनके पास पहने हुये कपडों तथा मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई। इसके बाद श्री राजवीर सिंह कानि. से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुये 85,000/–रूपयो को परिवादी श्री प्रदीप कुमार की पहने हुये पेन्ट की पीछे की तरफ की दाहिनी जेब में रखवाये गये। परिवादी को समझाईश की गई कि आरोपी से हाथ नहीं मिलावे यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो आरोपी को हाथ जोडकर अभिवादन करे। अब पाऊडर युक्त रिश्वत राशि को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही उक्त राशी निकालकर उसे देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि को प्राप्त करके कहां रखता है इसका ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर अपने सिर पर हाथ फेरकर या मोबाईल से सूचित करे। इसके बाद दोनों गवाहों को भी हिदायत दी गई कि वे यथासम्भव परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का यथासम्भव प्रयास करें। इसके बाद गवाह श्री कुलदीप शर्मा से एक कांच के साफ गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया और ट्रेप बॉक्स में से गवाह श्री हरिओम मीना से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उक्त गवाह से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे उपस्थित हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री राजवीर सिंह कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थित हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनाफथलीन पाउडर के डिब्बे के ढक्कन को बंद करवाकर श्री राजवीर सिंह कानि. से वापिस सरकारी वाहन बोलेरो के डेस्क बोर्ड में तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिब्वे को ट्रेप बॉक्स में गवाह हरिओम मीना के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री राजवीर सिंह कानि. से गिलास के धोवन को हुन्डई शोरूम के बाथरूम में फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री राजवीर सिंह कानि. व दोनो स्वतंत्र गवाहान के दोनो हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से साफ करवाया गया तथा गिलास को हुन्डई शोरूम के किचिन में रखवाया गया। इसके बाद परिवादी को छोडकर उपरोक्त की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो दोनो गवाह के पास मोबाईल फोन तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं स्टाफ सदस्यों के पास विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई। इसके बाद परिवादी श्री प्रदीप कुमार को रिश्वत लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वॉईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाया जाकर आवश्यक हिदायत दी जाकर सुपुर्द किया गया। फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तथा दृष्टांत फिनॉफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात समय 09:00 पी.एम. पर परिवादी श्री प्रदीप कुमार ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैने अरविन्द कुमार गुप्ता एईएन से जरिये व्हाटसेप कॉलिंग की तो अरविन्द कुमार गुप्ता ने कहा कि यार अभी तो मैं फील्ड में से आया हूँ और मैं परेशान भी हो गया हूँ। मैं आपसे कल आपके शौरूम पर आकर सम्पर्क कर लूंगा। इस पर परिवादी की पहने हुये पेन्ट के पीछे की दाहिनी तरफ की जेब में रखवाये गई रिश्वती राशि 85,000/–रूपये को श्री राजवीर सिंह कानि. से निकलवाकर पूर्व में तैयार करवाई गई फर्द पेशकशी से स्वतंत्र गवाहान से मिलान करवाकर राजवीर सिंह कानि. से एक लिफाफे में रखवाकर सुरक्षित अपने पास रखवायी गई तथा परिवादी को उचित हिदायत दी गई। तदोपरान्त समय 09:15 पी.एम.पर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मनोज कुमार के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वाईस रिकार्डर को निकलवाकर दिनांक 01.11.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता परिवादी प्रदीप

कुमार के स्वंय के मोबाईल नं. 9950512351 से आरोपी अरविन्द कुमार गुप्ता एईएन के मोबाईल नं. 9413390651 पर हुई व्हाटसेप कॉल जो सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड है को लेपटाप में सेव करवाकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को टेबल स्पीकर के माध्यम से परिवादी श्री प्रदीप कुमार व गवाहान के समक्ष सुना जाकर परिवादी से पूछ–पूछ कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा लेपटॉप में सेव रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की एक पेन ड्राईस सेन डिस्क कम्पनी तथा दो डीवीडीयां क्रमशः– मुल्जिम एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क "A" अंकित कर उक्त डीवीडीयों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवा कर पेन ड्राईव व मुल्जिम प्रति डीवीडी को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। शील्डशुदा पेन ड्राईव व डीवीडी मार्क "A" को मालखाना प्रभारी श्री जुगलाल कानि. नं. 459 को सुपुर्द कर ट्रेप बाक्स में सुरक्षित रखवाई गई तथा आईओ प्रति डीवीडी को कागज की थैली में रखवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर फाईल पर रखा गया। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी सदस्यो के रात्री मुकीम हिण्डोन सिटी हुआ। इसके पश्चात दिनांक 02.11.2022 समय 09:00 ए.एम. पर परिवादी श्री प्रदीप कुमार ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि अभी थोडी देर पहले मेरे पास अरविन्द कुमार गुप्ता एईएन का कॉल आया था और उसने मेरे से कहा कि मैं 09.30 ए.एम करीब आपके पास हुण्डई शौरूम पर ही आ जाउंगा। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी प्रदीप कुमार को सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू एवं बन्द करने की विधि समझाकर आवश्यक हिदायत देकर वाईस रिकार्डर सुपुर्द किया एवं कानि. राजवीर सिंह के पास पूर्व से सुरक्षित रखी रिश्वती राशि 85,000/– रूपये को लिफाफे से निकलवाकर पूर्व से तैयार की गई फर्द पेशकशी से स्वतंत्र गवाहान से रिश्वती राशि के नोटो का मिलान करवाकर परिवादी की पहने हुये पेन्ट की पीछे की तरफ की दाहिनी जेब में रखवाये गये एवं परिवादी को समझाईस की गई की जब भी आरोपी रिश्वत की राशि ग्रहण करे तो रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा सिर पर हाथ फेरकर या मोबाईल से कॉल कर ईशारा करें तथा मनोज कुमार कानि. को परिवादी के आस–पास रहने की हिदायत कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यो के हुण्डई शौरूम के आस पास अपनी अपनी उपस्थिति का छिपाव करते हुये परिवादी के निर्धारित ईशारे के प्रतिक्षा में मुकीम हुआ। इसके पश्चात समय 09:40 ए.एम. पर श्री मनोज कुमार कानि. ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बताया कि अभी थोडी देर पहले एक मोटर साईकिल पर दो व्यक्तियों ने शौरूम के मैन गेट से अन्दर प्रवेश किया था तो परिवादी ने मेरे से कहा कि आरोपी अरविन्द कुमार गुप्ता एईएन आ गया है। तुम इधर–उधर साईड में छिप जाओ, इस पर मै अपनी उपस्थिति का छिपाव करते हुये आपके पास आया हूँ। इस मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कानि. मनोज कुमार को आवश्यक हिदायत कर शौरूम परिसर में ही अपनी उपस्थिति का छिपाव करते हुये मुकीम रहने हेतु रवाना किया। इसके पश्चात समय 10:00 ए.एम.पर परिवादी प्रदीप कुमार बिना ईशारा किये हुये ही मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया और स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बताया कि अभी थोडी देर पहले आरोपी अरविन्द कुमार गुप्ता एईएन व उसके साथ एक व्यक्ति और शौरूम पर मोटरसाईकिल से आये थे। जिनको आता देखकर मैने मनोज कुमार कानि. को इधर उधर साईड में रवाना कर दिया था एवं वाईस रिकार्डर मैनें चालू कर लिया था। मैं और अरविन्द कुमार गुप्ता शौरूम के कैविन में गये जहां पर मैने मेरे विद्युत सम्बन्धित कार्य एवं शेष रिश्वति राशि के सम्बन्ध में अरविन्द कुमार गुप्ता से वार्ता की तो अरविन्द कुमार गुप्ता ने कहा कि अभी तो मेरे पास एस.ई. साहब का फोन आ रहा है मुझे ट्रेनिंग में जाना है। आप ये पैसे यहीं दे जाना मैं सुबह शाम में कभी भी यहां से आकर ले जाउंगा। इसके बाद अरविन्द कुमार गुप्ता मेरे केविन से बाहर आकर उसके साथ आये व्यक्ति के साथ मोटरसाईकिल पर बैठकर शौरूम से चला गया। इस पर मैने वाईस रिकार्डर को बन्द कर दिया था। मैं अरविन्द कुमार को रिश्वत की राशि के पैसे स्वंय ही दूंगा। अब जब भी अरविन्द कुमार मेरे से संपर्क करेगा तब मैं आपसे संपर्क कर लूंगा। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी प्रदीप कुमार से वाईस रिकार्डर प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखा एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी के सदस्यों के शोरूम के बाहर से रवाना होकर शौरूम के अन्दर पहुंचा, जहां पर पूर्व से मौजूद कानि. राजवीर सिंह से परिवादी की पहने हुये पेन्ट के पीछे की दाहिनी तरफ की की जेब में रखवाये गई रिश्वती राशि 85,000/–रूपये को निकलवाकर पूर्व में तैयार करवाई गई फर्द पेशकशी से स्वतंत्र गवाहान से मिलान करवाकर राजवीर सिंह कानि. से एक लिफाफे में रखवाकर सुरक्षित अपने पास रखवायी गई तथा परिवादी को उचित हिदायत दी गई। इसके पश्चात समय 10:15 ए.एम. पर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वाईस रिकार्डर को निकालकर दिनांक 02.11.2022 को परिवादी प्रदीप कुमार एवं आरोपी अरविन्द कुमार गुप्ता एईएन के मध्य हुई रिश्वत संबंधी वार्ता जो सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड है को लेपटाप में सेव करवाकर रिश्वत संबंधी वार्ता को टेबल स्पीकर के

माध्यम से परिवादी श्री प्रदीप कुमार व गवाहान के समक्ष सुना जाकर परिवादी से पूछ–पूछ कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा लेपटॉप में सेव रिश्वत संबंधी वार्ता की एक पेन ड्राईस सेन डिस्क कम्पनी तथा दो डीवीडीयां क्रमश– मुल्जिम एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क "B" अंकित कर उक्त डीवीडीयों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवा कर पेन ड्राईव व मुल्जिम प्रति डीवीडी को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। शील्डशुदा पेन ड्राईव व डीवीडी मार्क "B" को मालखाना प्रभारी श्री जुगलाल कानि. नं. 459 को सुपुर्द कर ट्रेप बाक्स में सुरक्षित रखवाई गई तथा आईओ प्रति डीवीडी को कागज की थैली में रखवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर फाईल पर रखा गया। इसके पश्चात समय 11:30 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री प्रदीप कुमार को ट्रेप कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी सदस्य एवं स्वतंत्र गवाहान के सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक मय ट्रेप बाक्स, लेप–टोप, प्रिन्टर आदि उपकरण मय शील्ड शुदा पेन ड्राईव व डीवीडी मार्क A शील्ड शुदा पेन ड्राईव व डीवीडी मार्क B मय राजवीर सिंह कानि. के पास रखी रिश्वति राशि 85,000/– रूपये के हुण्डई शौरूम हिण्डोन सिटी से ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर के लिये रवाना होकर समय–02:15 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी सदस्य एवं स्वतंत्र गवाहान के सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक मय ट्रेप बाक्स, लेप–टोप, प्रिन्टर आदि उपकरण मय शील्ड शुदा पेन ड्राईव व डीवीडी मार्क A शील्ड शुदा पेन ड्राईव व डीवीडी मार्क B मय राजवीर सिंह कानि. के पास लिफाफे मे रखी रिश्वति राशि 85,000/– रूपये के हुण्डई शौरूम हिण्डोन सिटी से रवानाशुदा ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर पहुंचा । शील्ड शुदा पेन ड्राईव व डीवीडी मार्क A शील्ड शुदा पेन ड्राईव व डीवीडी मार्क B को मालखाना प्रभारी जुगलाल कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवायी गई तथा राजवीर सिंह कानि. के पास लिफाफे में सुरक्षित रखी रिश्वति राशि 85,000/– रूपये को सुरक्षा की दृष्टि से मालखाने में रखवायी गयी। इसके पश्चात समय 02:30 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहांन हरिओम मीना व कुलदीप शर्मा को ट्रेप कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने हेतु एवं जब भी कार्यवाही हेतु आवश्यकता होगी तब उपस्थित आने की हिदायत कर ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर से रूखस्त किया गया। इसके पश्चात दिनांक 09.11.2022 समय 01:10 पी.एम. पर परिवादी श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री रामसिंह जाति जाट उम्र 35 वर्ष निवासी तुलसीरामपुरा गोवटी तहसील दातारामगढ पुलिस थाना खाटु श्याम जी जिला सीकर हाल निवासी श्रीकृपा हुंडई शौरूम करमोदा जिला सवाई माधोपुर उपस्थित कार्यालय आया एवं एक लिखित प्रार्थना पत्र मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को इस आशय का प्रस्तुत कर बताया कि मेरे द्वारा करवायी जा रही ट्रेप कार्यवाही की भनक शायद अरविन्द कुमार गुप्ता को लग चुकी है। क्योंकि दिनांक 02.11.2022 को दौराने ट्रेप कार्यवाही अरविन्द कुमार गुप्ता ए.ईएन ने मेरे कहा था, कि आप पैसे यही पर रख जाना मैं ज़ब भी आउंगा यहां से लेता जाउंगा। उस दिन के बाद से आज तक वह मेरे हिण्डोन सिटी में स्थित शौरूम पर नही आया और नाही मेरे से रिश्वत संबंधी बातचीत की। मैने जब अरविन्द कुमार गुप्ता एईएन से इस संबंध में बातचीत की तो उन्होने मेरे रिश्वत के सम्बन्ध में कोई बातचीत नही की। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं मौखिक बतायी गई बातो से स्पष्ट है कि आरोपी अरविन्द कुमार गुप्ता एईएन को शायद ट्रेप कार्यवाही की भनक लग चुकी है। अब वह परिवादी से रिश्वत में की गई मांग अनुसार 85,000/– रूपये रिश्वत राशि प्राप्त नही करेगा। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शामिल कार्यवाही किया गया। परिवादी द्वारा दिनांक 01.11.2022 को रिश्वत में दी जाने हेतु प्रस्तुत की गई 85,000/– रूपये की राशि को मालखाना से श्री जुगलाल कानि. से निकलवायी जाकर नोटो को पाउडर मुक्त कराकर परिवादी श्री प्रदीप कुमार को लौटायी जाकर रसीद प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात समय 01.40 पी.एम.पर पूर्व से तलबशुदा स्वतंत्र गवाह श्री हरिओम मीना सूचना सहायक, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर एवं श्री कुलदीप शर्मा स्टेनो ग्राफर, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर उपस्थित ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। जिन्हे कार्यालय कक्ष में बिठाया गया एवं समय 02.00 पी.एम.पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं० ACB SMR (41) को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 02.30 पी.एम. पर परिवादी श्री प्रदीप कुमार व स्वतंत्र गवाहान को बाद हिदायत रूखस्त किया गया। अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही से परिवादी श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री रामसिंह जाति जाट उम्र 35 वर्ष निवासी तुलसीरामपुरा गोवटी तहसील दातारामगढ पुलिस थाना खाटु श्याम जी जिला सीकर हाल निवासी श्रीकृपा हुंडई शौरूम करमोदा जिला सवाई माधोपुर से परिवादी के श्रीकृपा हुन्डई शौरूम हिण्डोन सिटी शौरूम के विद्युत कनेक्शन को शहरी क्षैत्र से देने और अधिक इस्टीमेट नही बनाने व समय पर कनेक्शन देने एवं रिवाईज्ड एस्टीमेट नही बनाने की एवज में रिश्वति राशि दो लाख रूपये की मांग की। जिस पर आरोपी अरविन्द कुमार गुप्ता पूर्व में 90,000/– रूपये रिश्वत के प्राप्त करना तथा आरोपी अरविन्द कुमार गुप्ता परिवादी से शेष एक लाख दस हजार रूपये की

और मांग करना, वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 01.11.2022 को परिवादी द्वारा कम करने का निवेदन करने पर 85,000/– रूपये लेने पर सहमत होना पाया जाने पर वक्त ट्रेप कार्यवाही दिनांक 02.11.2022 को किसी कारण वश कार्यवाही की भनक लगने के कारण रिश्वत राशि प्राप्त नही करने का कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 के बकू में आना आना प्रथम दृष्टया बनना पाया गया है। अतः अरविन्द कुमार गुप्ता पुत्र श्री महेश कुमार गुप्ता उम्र 38 वर्ष निवासी शीतला कॉलोनी, हिण्डोन सिटी, जिला करौली हाल सहायक अभियन्ता, (अ0प्रथम) जयपुर डिस्कोम, हिण्डोन सिटी, जिला करोली का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित है।

(सुरेन्द्र कुमार शर्मा)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
सवाई माधोपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, सहायक अभियन्ता, (अ0 प्रथम) जयपुर डिस्कॉम, हिण्डोन सिटी, जिला करोली के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 488/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

27.12.22
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक:- 4149-52 दिनांक 27.12.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. सचिव प्रशासन, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर।

27.12.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।